रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1998 (भाद्रपद 21, 1920)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1998 (BHADRA 21, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

मुंबई, दिनांक 24 अगस्त, 1998

एस०बी०डी० क० 4/1998—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38वां) की धारा 25, उप धारा (1), खण्ड (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री एस० एन० सवाईकर के स्थान पर श्री जी० जी० वैद्य, उप प्रबंध निदेशक (सहयोगी एवं समनुषंगियां), भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को 1 सितम्बर, 1998 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :—

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर।
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद।
3. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर।
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर।
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला।
6. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र।
7. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर।

एम० एस० वर्मा,
अध्यक्ष

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 18 अगस्त 1998

सं० 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/1852—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० आ० फा० नं०
1.	मै० टिबरेवाला इलेक्ट्रोनिक्स लि० प्लाट नं० बी–18, बी०एच०ई०एल० अन्सीलरी इन्डस्ट्रीयल स्टेट रामा चन्द्रा, हैदराबाद–500032	ऐ०पी/एच वाई 1978	1–10–96 से 30–9–99	1/16/98/ ई०डी०एल०आई०
2.	मै० बालाजी इण्डस्ट्रीस इक्कीपाडु विजयवाड़ा, जिला कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश	ए०पी० 6114	1–2–96 से 31–1–99	1/9/98/ डी० एल० आई०

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
अंशदायी भविष्य निधि आयुक्त

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र समिति

406, काकड़ रोड़ चेम्बर्स, 132, डॉ ए. बी रोड़ वर्ली, मुम्बई–400018

सं० 33(15)/96–प्रशासन—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र समिति कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1986 तथा वस्त्र समिति कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1986 के अधिक्रमण में जिसके पहले की गई चीजें या ऐसी चीजें जो छूट गई हों जिन्हें किया जाना हो, को छोड़कर वस्त्र समिति, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से एतद्द्वारा निम्न प्रकार विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) ये विनियम वस्त्र समिति कर्मचारी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1998 कहलायेंगे ।

ये उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1965 जो समय-समय पर यथा संशोधित हैं तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं वे निम्न प्रकार संशोधन के साथ वस्त्र समिति के कर्मचारियों पर लागू होंगे, अर्थात् :—

(1) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के लिए निर्धारित प्राधिकारी इस प्रकार होंगे :—

(i) (क) जिन पदों के वेतनमान का अधिकतम 15200/– रु० से अधिक है उनके लिए... अध्यक्ष/उपाध्यक्ष

(ख) अन्य सभी पदों के लिए .....सचिव

(ii) वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने के प्रावधान ग्रुप ए तथा ग्रुप बी अधिकारियों के अलावा ग्रुप बी के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के लिए सक्षम प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी निम्न प्रकार सूची के अनुसार होंगे ।

सूची

श्रेणी	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	समीक्षा प्राधिकारी
1	2	3	4
1. निलम्बन			
क) जिनके वेतनमान का अधिकतम 6000/– रु० से अधिक नहीं है उन पदों के लिए	सहायक सचिव	सचिव	—
ख) जिनके वेतनमान का अधिकतम 6000/–रु० से अधिक तथा 11500/–रु० तक है उन पदों के लिए	सचिव	उपाध्यक्ष	—
ग) जिनके वेतनमान का अधिकतम 11500/– रु० से अधिक है उन पदों के लिए	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	—

1	2	3	4	5
2.	मामूली दण्ड			
क)	जिनके वेतनमान का अधिकतम 6000/–रु० से अधिक नहीं है उन पदों के लिए	सहायक सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष
ख)	जिनके वेतनमान का अधिकतम 6000/–रु० से अधिक तथा 11500/—रु० तक है उन पदों के लिए	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
ग)	जिनके वेतनमान का अधिकतम 11500/–रु० से अधिक है उन पदों के लिए	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष	समिति
3)	बड़े दण्ड			
क)	जिनके वेतनमान का अधिकतम 11500/–रु० से अधिक नहीं है उन पदों के लिए	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
ख)	जिनके वेतनमान का अधिकतम 11500/–रु० से अधिक तथा 15200/– रु० तक है उन पदों के लिए	उपाध्यक्ष	समिति	--
ग)	जिनके वेतनमान का अधिकतम 15200/–रु० से अधिक है उन पदों के लिए	समिति	--	समिति

आई० पी० सिंह,
सचिव
वस्त्र समिति

रक्षा मंत्रालय

छावनी परिषद

कण्णूर–670017, दिनांक 2 मार्च 1998

का० नि० आ० : 7.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 की–2) की धारा 61, धारा 255 के अनुसार, अचल सम्पत्ति के स्थानांतरण से संबंधित करते हुए संशोधन के लिए 25 अगस्त, 1997 को एक सार्वजनिक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी । जिसकी एक प्रति छावनी परिषद् के कार्यालय के सामने सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी, जिसके द्वारा उन सब व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के तीस दिनों के समापन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव निमंत्रित किए गए थे, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है ।

जबकि उक्त अधिसूचना का प्रारूप जनता को 25 अगस्त, 1997 को उपलब्ध कराया गया था ।

चूंकि उक्त प्रारूप पर जनता द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं किया था ।

अतैव, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से का० नि० आ० 200 का जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र, भाग–II, धारा 4 दिनांक 28 जून, 1969 में प्रकाशित है । अधिसूचना का निष्पादन करते हुए कण्णूर छावनी परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति के साथ कण्णूर छावनी में अचल सम्पत्ति के स्थानांतरण से सम्बन्धित प्रत्येक प्रपत्र में विचाराधीन रकम पर नीचे दर्शायी गई दर के अनुसार एतद्द्वारा 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कर लागू करती है ।

प्रपत्र का ब्यौरा	राशि जिस पर कर को उगाही की जानी है
1	2
1. अचल सम्पत्ति का विक्रय	विक्रय के लिए विचाराधीन राशि या रकम जिसकी प्रपत्र में घोषणा की गई है ।

1	2	3
2.	अचल सम्पत्ति का विनियम	प्रपत्र में दर्शाया गई सम्पत्ति की अधिकतम रकम का मूल्य ।
3.	अचल सम्पत्ति की भेंट	प्रपत्र की घोषणा के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य ।
4.	अचल सम्पत्ति के स्वामित्व के साथ बन्धक रखना	प्रपत्र में घोषित रकम जिसको बन्धक में रखा गया है ।
5.	अचल सम्पत्ति के स्थायित्व पट्टा	प्रपत्र में घोषित वह रकम जो कि कुल राशि के एक / छठे भाग के समतुल्य होगी या पहले पचास वर्षों से सम्बन्धित पट्टा या किराये की राशि जिसकी अदायगी या विवरण दिया जाना है ।

प्राधिकरण – भारत सरकार रक्षा मंत्रालय (डि० जी० डि० इ०) पत्र सं०—83/30/सी० /डि० ई०/90 दिनांक 10–2–1998 ।

संजीव कुमार
छावनि अधिशासी
अधिकारी
कण्णूर ।

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai, the 24th August 1998

SBD. No. 4/1998—In terms of clause (c) of sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the State Bank of India hereby nominates Shri G .G. Vaidya, Dy. Managing Director (Associates & Subsidiaries), State Bank of India, Central Office, Mumbai, as a Director on the Boards of the following Associate Banks with effect from 1-9-1998 vice Shri S. N. Sawaikar.

1. State Bank of Bikaner & Jaipur.
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Indore
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Saurashtra
7. State Bank of Travancore.

M.S. VERMA,
Chairman

MINISTRY OF LABOUR

A EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, the

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/1852.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE–I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's File No.
1.	M/s. Tibrewala Electronics Ltd., Plot No. B-18 BHEL Ancillery Industrial Estate, Rama Chandra Hyderabad-500032.	AP/HY 19781	1-10-96 to 30-9-1999	1/16/98/EDLI
2.	M/s. Bala Jee Industries, Enikebadu, Vijayawada Krishna District. Andhra Pradesh .	AP/6114	1-2-1996 to 31-1-1999	1/9/98/EDLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) /Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF TEXTILES

TEXTILES COMMITTEE

406, Kakad Chambers, 132, Dr. A.B. Road
Worli, Mumbai-400 018

No. 33(15)/96-Ad.—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), and in supersession of the Textiles Committee's Employees' (Conduct) Regulations, 1986 and the Textiles Committee's Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1986 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Textiles Committee hereby makes, with the previous sanction of the Central Government, the following Regulations, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These Regulations may be called the Textiles Committee's Employees' (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1998.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, and as applicable to the Central Government Employees, shall be applicable to the employees of the Textiles Committee, subject to the following modifications, namely:—

(1) For the purposes of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 the prescribed authorities shall be:

(i) (a) In respect of posts carrying a pay scale the maximum of which is above Rs. 15200/-. . . . .Chairman/Vice-Chairman.

(b) In respect of all other posts...Secretary.

(ii) The provisions relating to submission of annual property returns shall apply, apart from Group A and Group B officers, to the Group B employees also.

(2) For the purposes of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the Competent Authorities, Disciplinary Authorities, Appellate Authorities and Reviewing Authorities shall be as given in the Schedule.

SCHEDULE

Category	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authroity
1	2	3	4
(1) SUSPENSION			
(a) For posts carrying pay scale the maximum of which does not exceed Rs. 6000/ -	Assistant Secretary	Secretary	—
(b) For posts carrying pay scale the maximum of which is above Rs. 6000/- and upto Rs. 11500/ -	Secretary	Vice-chairman	—
(c) For posts carrying pay saole the maximum of which is above Rs. 11500/ -	Vice-chairman	Chairman	—
(2) FOR MINOR PENALTIES			
(a) For posts carrying pay scale the maximum of which does not exceed Rs. 6000/ -	Assistant Secretary	Secretary	Vice-Chairman
(b) For posts carrying pay scale the maximum of which is above Rs. 6000/- and upto Rs. 11500/-	Secretary	Vice-Chairman	Chairman
(c) For posts carrying pay scale the maximum of which is above Rs. 11500/-	Vice-Chairman	Chairman	Committee
(3) FOR MAJOR PENALTIES			
(a) For posts carrying pay scale the maximum of which does not exceed Rs. 11500/-	Secretary	Vice-Chairman	Chairman
(b) For posts carrying pay scale the maximum of which is above Rs. 11500/- and upto Rs.15200/-	Vice-Chairman	Committee	—
(c) For posts carrying pay scale the maximum of which is above Rs. 15200/-.	Committee	—	Committee

Y. P. SINGH
Secretary
Textiles Committee

MINISTRY OF DEFENCE

CANTONMENT BOARD

Cannanore-670017, the 2nd March 1998

Government of India

No. SRO-7—Whereas a public notice for revision of tax on transfer of immovable property was published on the 25th August, 1997 by affixing a copy thereof in a conspicuous Part of the office of the Cantonment Board, Cannanore as required by Section 61, read with Section 255, of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas the aforesaid draft notice was made available to the public on the 25th August, 1997;

And whereas no objections and suggestions were received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Defence number SRO 200 published in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 28th June, 1969, the Cannanore Cantonment Board with the previous sanction of the Central Government hereby imposes tax on transfer of immovable property in the Cantonment of Cannanore from the rate of 3% to 5% on the amount of consideration shown in every instrument of transfer as described hereunder:—

Description of instruments	Amount on which tax should be levied
(i) Sale of immovable property	The amount or value of the consideration for the sale as set forth in the instrument.
(ii) Exchange of immovable property	The value of the property of the greater value as set forth in the instrument.
(iii) Gift of immovable property	The value of the property as set forth in the instrument.
(iv) Mortgage with possession of immovable property	The amount secured by the mortgage as set forth in the instrument.
(v) Lease in perpetuity of immovable property	An amount equal to one sixth of the whole amount or value of the rents which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease as set forth in the instrument.

Authority:—Govt. of India, Ministry of Defence (DG, DE) letter No. 53/39/C/DE/90 dated 10-2-1998.

SANJEEV KUMAR
Cantonment Executive Officer,
Cannanore.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1998